भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4001
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

अमृत सरोवर योजना

4001. श्री अरविंद धर्मापुरी:
श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत जल भंडारण क्षमता की अनुमानित मात्रा का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने 50,000 अमृत सरोवर बनाने के प्रारंभिक लक्ष्य के अलावा कोई संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सूखा प्रवण और जल-अभाव वाले क्षेत्रों में आधारभूत पुनर्भरण संबंधी पहलों के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या रहे हैं;

(घ) क्या इन जल निकायों के रखरखाव और स्थायित्व में पंचायती राज संस्थाओं सहित स्थानीय समुदाय की भागीदारी के लिए कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने विकसित अमृत सरोवर स्थलों के अतिक्रमण और प्रदूषण को रोकने के लिए कोई तंत्र तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ङ): मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई थी , जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर (तालाब) बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना था , जिससे पूरे देश में कुल 50,000 तालाब बनेंगे। प्रत्येक अमृत सरोवर में लगभग 1 एकड़ (पहाड़ी इलाकों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर) का तालाब क्षेत्र होना था , जिसकी जल धारण क्षमता लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर (पहाड़ी इलाकों वाले राज्यों को छोड़कर) होनी थी।

दिनांक 20-03-2025 तक 68,000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका हैं , जिनका राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है। इस पहल ने जल की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान करने और विभिन्न क्षेत्रों में सतही और भूजल उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन सरोवरों ने न केवल तत्काल जल आवश्यकताओं को पूरा किया है , बल्कि स्थायी जल स्रोत भी स्थापित किए हैं , जो दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

मिशन अमृत सरोवर के कार्यों को राज्यों और जिलों द्वारा राज्यों को अपनी योजनाओं के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) , 15वें वित्त आयोग अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उप-योजनाओं जैसे वाटरशेड विकास घटक, हर खेत को पानी जैसे विभिन्न चल रहे योजनाओं के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस कार्य के लिए क्राउडफंडिंग और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी जैसे सार्वजनिक योगदान की भी अनुमति है।

मिशन अमृत सरोवर के दूसरे चरण में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें सामुदायिक भागीदारी (जनभागीदारी) को केंद्र में रखा जाएगा और इसका उद्देश्य जलवायु अनुकूलता को मजबूत करना , पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देना और भावी पीढ़ियों को स्थायी लाभ पहुंचाना है।

पूरे मिशन में लोगों की भागीदारी अहम रही है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग के लिए नागरिकों और गैर-सरकारी संसाधनों को जुटाने के लिए मिशन अमृत सरोवर के दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं:

i. अमृत सरोवर की आधारशिला स्वतंत्रता सेनानी या उसके परिवार के सदस्य या शहीद (स्वतंत्रता के बाद) के परिवार या स्थानीय पद्म पुरस्कार विजेता द्वारा रखी जाएगी , और यदि ऐसा कोई नागरिक उपलब्ध नहीं है, तो स्थानीय ग्राम पंचायत के सबसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा रखी जाएगी।
ii. निर्माण सामग्री, बेंच और श्रम दान के माध्यम से लोगों की भागीदारी का प्रावधान।
iii. यदि ग्राम समुदाय चाहे तो सरोवर स्थल के सौन्दर्यीकरण कार्य के लिए क्राउड सोर्सिंग और सीएसआर योगदान के माध्यम से आवश्यक दान जुटाया जा सकता है।
iv. यह प्रावधान किया गया है कि स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक अमृत सरोवर स्थल पर स्वतंत्रता सेनानी या उसके परिवार के सदस्य या शहीद के परिवार के सदस्य या स्थानीय पद्म पुरस्कार विजेता द्वारा तिरंगा फहराया जाएगा। अमृत सरोवर स्थलों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम भी मनाए जाएंगे।
v. सिंचाई, मत्स्य पालन या सिंघाड़े की खेती सहित ऐसी जल संरचनाओं के संभावित उपयोगकर्ताओं की पहचान की जानी चाहिए तथा उनके समूह के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मिशन अमृत सरोवर के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अमृत सरोवरों के प्रभावी रखरखाव और स्थिरता के लिए प्रत्येक सरोवर से जुड़े उपयोगकर्ता समूहों का गठन और स्पष्ट मानचित्रण आवश्यक है, जिसमें मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूहों के सदस्य शामिल हों। सरोवरों के इष्टतम उपयोग और रखरखाव के लिए इन उपयोगकर्ता समूहों की उचित पहचान और समन्वय आवश्यक है। उपयोगकर्ता समूह अमृत सरोवर के निरंतर उपयोग और रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होगा, जिसमें वृक्षारोपण गतिविधियाँ भी शामिल हैं। प्रत्येक मानसून के मौसम के बाद जलग्रहण क्षेत्र से कीचड को हटाने का काम उपयोगकर्ता समूहों द्वारा स्वेच्छा से किया जाना चाहिए।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4001 के भाग (क) एवं (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 20.03.2025 तक निर्मित अमृत सरोवर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार ब्यौर		
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**निर्मित अमृत सरोवर की कुल संख्या**
1	अंडमान और निकोबार	227
2	आंध्र प्रदेश	2154
3	अरुणाचल प्रदेश	772
4	असम	2966
5	बिहार	2613
6	छत्तीसगढ़	2902
7	गोवा	159
8	गुजरात	2650
9	हरियाणा	2088
10	हिमाचल प्रदेश	1691
11	जम्मू और कश्मीर	1056
12	झारखंड	2048
13	कर्नाटक	4056
14	केरल	866
15	लद्दाख	100
16	मध्य प्रदेश	5839
17	महाराष्ट्र	3055
18	मणिपुर	1226
19	मेघालय	705
20	मिजोरम	1031

21	नागालैंड	256
22	ओडिशा	2367
23	पुदुचेरी	152
24	पंजाब	1450
25	राजस्थान	3138
26	सिक्किम	199
27	तमिलनाडु	2487
28	तेलंगाना	1872
29	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	58
30	त्रिपुरा	682
31	उत्तराखंड	1322
32	उत्तर प्रदेश	16630
33	पश्चिम बंगाल	25
	कुल	**68,842**